

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०



बिलोपि/बोस रूपये Rs 20/-

R-2425-11/14

1. दुअरी यादव तनय साहवदीन यादव उम्र 65 साल, पेशा गृहणी व छेती
 2. रामलाल यादव तनय छोटकउ यादव उम्र 50 साल, पेशा छेती
- दोनो निवासी ग्राम शंकरपुर, तहसील तयौथर, जिला रीवा म०प्र०

-----आवेदकगण/निगरानीकर्ता

बनाम

सर्किट कोर्ट रीवा

1. फूधन्द्र पिता पचई साकेत निवासी ग्राम शंकरपुर, तहसील तयौथर जिला रीवा म०प्र०
2. शाखन (ज.प)

-----अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

राजस्व निरीक्षक मण्डल चाकघाट, के प्र० 35अ12/2013-2014 मे सीमांकन पर पारित आदेश दिनांक 20.6.2014 के तहत निगरानी अन्तर्गत अर्द्ध धारा 50 म०प्र०भूरा0संहिता

क्रमांक 2367
दिनांक 18-7-14 को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

निगरानी के तथ्य

यह कि अनावेदक ने साकिम शंकरपुर, तहसील तयौथर, रा०नि० म०चाकघाट जिलारीवा की आराजी नं. 49/28 रकबा 1.012 हे. के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर किये गये सीमांकन कर दिया गया, जिसे निगरानीकर्ता द्वारा आवेदित आराजी नं. 49/28 के अंश भू भाग 0.243 हे. पर आवेदकगणों का कब्जा निरूपित किया गया जबकि आवेदित आराजी नं. 49/28 से संलग्न आवेदकगणों की आराजी नं. 49/1 है और आवेदकगणों का अधिपत्य आराजी नं. 49/1 पर है लेकिन गलत सीमांकन के आधार पर आवेदकगणों के अधिपत्य के

निर्दिष्ट

राजपाल

प्रवेशिका... (B) ... के ... आल किनांक... 18-7-14 ... के ... स्तुत किया गया।

395
18-7-14

127

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 2425-सी/14 जिला सीवा

..... दुअरी यादव विरुद्ध फूलचन्द साकेत

1	2	3
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>प्रवेश मित्रा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>चाक्याट</u> तहसील <u>दोधा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>35/अ-12/13-14</u> में पारित आदेश दिनांक <u>20-6-14</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>7-3-19</u> को कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	




सदस्य

1 नं० 50/1

राज्यपाल